



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2012-अग्रहायण 30, शके 1934

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धर्मेन्द्र पिता रामचन्द्र, निवासी-17/5, मल्हारगंज, इंदौर द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2012 से अपना नाम परिवर्तन किया गया है. अब आगामी भविष्य में मुझे राजवीर पिता रामचन्द्र, निवासी-17/5, मल्हारगंज, इंदौर के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( धर्मेन्द्र )

(219-बी.)

नया नाम :

( राजवीर )

पिता-रामचन्द्र,

नि.-17/5, मल्हारगंज, इंदौर ( म. प्र. ).

#### नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, शान्तनु चौधरी पुत्र स्व. श्री अमल चौधरी ने पुनः विवाह मोम झा के साथ सम्पन्न कर लिया एवं विवाहोपरान्त मोम झा का नाम मोम चौधरी पत्नी शान्तनु चौधरी हो गया है. मोम झा के पूर्व पति पंकज झा की मृत्यु दिनांक 01 दिसम्बर, 2006 को हो गयी थी. मोम चौधरी की पुत्री जिसका नाम स्वांजिल आयु 15 वर्ष है उनका भरण-पोषण की जिम्मेदारी मुझ शान्तनु चौधरी ने ले ली है.

अतः बच्चे के पिता पंकज झा माता मोम झा के स्थान पर पिता शान्तनु चौधरी एवं माता मोम चौधरी लिखा एवं पढ़ा जावे.

( शान्तनु चौधरी पत्नी श्रीमती मोम चौधरी )

बी-152, अल्कापुरी, हबीबगंज,

भोपाल ( मध्यप्रदेश ).

(220-बी.)

#### नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व में नाम ( SUNNY SINGH CHOUDHARY ) के नाम से जाना जाता था. अब मेरे पुत्र को ( SURYANSH SINGH CHOUDHARY ) के नाम से जाना जाये.

**B. B. S. CHOUDHARY,**

ई-3, एच. आई. जी. 9, अरेरा कॉलोनी,

भोपाल ( म. प्र. ).

(233-बी.)

**उपनाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु मैं, राजू शर्मा, तनय श्री सुखलाल प्रसाद यह घोषणा करता हूँ कि महिला एवं बाल विकास विभाग में चालक के पद पर कार्यरत हूँ तथा शासकीय रिकॉर्ड में उपनाम रजक दर्ज है जिसके स्थान पर शर्मा दर्ज किया जाय, जिसके सुधार हेतु मेरे द्वारा विभाग में प्रार्थना-पत्र तथा शपथ-पत्र गत दिनों दिया जा चुका है।

अतः आज से मेरा पूरा नाम राजू शर्मा जाना एवं पहचाना जाये।

पुराना नाम :

( राजू रजक )

नया नाम :

( राजू शर्मा )

तनय श्री सुखलाल प्रसाद  
नमिता नर्सिंग होम के सामने,

समान बाणसागर कॉलोनी, जिला रीवा ( म. प्र. ).

( 221-बी. )

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शशि काटजू पुत्री डॉ. श्याम काटजू, निवासी जोधपुर का विवाह भोपाल निवासी अमिताभ शिवपुरी के साथ हुआ है। विवाह उपरांत मेरा नाम जया शिवपुरी हो गया है। अब मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जाएगा।

पुराना नाम :

( शशि काटजू )

नया नाम :

( जया शिवपुरी )

पत्नी- श्री अमिताभ शिवपुरी,  
निवासी—ई-1/12 नं. बंगला अरेरा कॉलोनी,  
भोपाल ( मध्यप्रदेश ).

( 222-बी. )

**नाम परिवर्तन**

पूर्व में मेरा नाम MURLIDHAR THADANI था. जिसे बदलकर MURLI PAMNANI कर लिया गया है. अब मुझे नए नाम MURLI PAMNANI से जाना जाए.

Old Name :

(MURLIDHAR THADANI)

New Name :

(MURLI PAMNANI)

एम-145, नयापुरा, कोलार रोड,  
भोपाल ( मध्यप्रदेश ).

( 223-बी. )

**नाम परिवर्तन**

पूर्व में मेरा नाम Syed Mujtuba Husain था. जिसे बदलकर Syed Mujtuba Husain Bukhari कर लिया गया है. अब मुझे नए नाम Syed Mujtuba Husain Bukhari से जाना जाए.

Old Name :

(Syed Mujtuba Husain)

New Name :

(Syed Mujtuba Husain Bukhari)

29, एयरपोर्ट रोड, भोपाल.

( 224-बी. )

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, करीम आबिद ने अपना नाम परिवर्तन कर करीम अली कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( करीम आबिद )

नया नाम :

( करीम अली )

92, दादा भाई नौरोजी मार्ग, उज्जैन  
( मध्यप्रदेश ).

( 228-बी. )

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, फातिमा शमीम ने अपना नाम परिवर्तन कर फातिमा अली कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( फातिमा शमीम )

नया नाम :

( फातिमा अली )

92, दादा भाई नौरोजी मार्ग, उज्जैन  
( मध्यप्रदेश ).

( 229-बी. )

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नलिनी दिघे पति अनिल कुमार दिघे घोषणा करती हूँ कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर नीला दिघे पति अनिल कुमार दिघे कर लिया है. अब से मुझे भविष्य में नये नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :  
( नलिनी दिघे )

(230-बी.)

नया नाम :  
( नीला दिघे )  
एन-54, अनूप नगर, इन्दौर  
( मध्यप्रदेश ).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सीमा पितलिया ने विवाह उपरांत अपना नाम परिवर्तन कर रानी कटकानी कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :  
( सीमा पितलिया )

(231-बी.)

नया नाम :  
( रानी कटकानी )  
पति- अनिल कटकानी,  
10, चंद्रशेखर आजाद मार्ग, झाबुआ  
( मध्यप्रदेश ).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जुजर अली आज दिनांक 16 नवम्बर, 2012 से अपने पुराने नाम का त्याग करता हूँ और अपना नया नाम जुजर नवाब रखता हूँ. मुझे सभी लोग इसी नये नाम जुजर नवाब के नाम से जानें व पहचानें.

पुराना नाम :  
( जुजर अली )

(232-बी.)

नया नाम :  
( जुजर नवाब )  
51, कामरी मार्ग, उज्जैन  
( मध्यप्रदेश ).

**सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. गियर्स प्रोफाइल्स, 35, लक्ष्मीबाई मार्ग, देवास पंजीयन क्र. 1075/1981-82 दिनांक 09 जुलाई, 1981 पर पंजीकृत है जिसको भागीदार श्री सुरेन्द्रसिंह सिसोदिया एवं श्री त्रिभुवन सिंह चावड़ा संचालित कर रहे थे. दिनांक 31 मार्च, 2012 को श्री सुरेन्द्रसिंह सिसोदिया फर्म से पृथक् हुए एवं उनके स्थान पर श्रीमती आनंद कुमारी चावड़ा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से फर्म में नए भागीदार के रूप में सम्मिलित हुई हैं. इस प्रकार अब श्रीमती आनंद कुमारी चावड़ा एवं श्री त्रिभुवन सिंह चावड़ा भागीदार के रूप में फर्म संचालित कर रहे हैं.

(225-बी.)

For GEAR PROFILES  
(Tribhuvan Singh Chawda)  
Partner/ Authorised Signatory.

**Notice U/s 72 of the Partnership Act, 1983**

Notice is hereby given that the partner Shri Vanmali Patwardhan has expired on 28<sup>th</sup> February, 2011 and Smt. Roopa Patwardhan has joined the firm M/s Dewas Motors.

Now the firm consists of the following partners:—

S.No.	Name of Partner	Share in Profit/loss
1.	Smt. Sitara Gajdhar	20%
2.	Roopa Patwardhan	80%
Total . .		100%

(226-B.)

For M/s Dewas Motors  
**Smt. Sitara Gajdhar**  
(Partner)  
**Roopa Patwardhan**  
(Partner)

## आम सूचना

सर्वजन को सूचित किया जाता है कि मेसर्स रेवांचल एक्सप्लोसिव, अम्बिया स्कूल के पास, पुरानी आबकारी, मैहर, जिला सतना मध्यप्रदेश में दिनांक 09 मई, 2012 से श्री पीयूष कुमार जैन पिता श्री विनोद कुमार जैन, निवासी गांधी चौक, अमरपाटन, जिला सतना, मध्यप्रदेश नये पार्टनर जुड़ चुके हैं। अगर इस फर्म में नये पार्टनर संबंधित किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी हो तो कृपया नीचे लिखे मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क करें।

(227-बी.)

**पीयूष कुमार जैन**

(पार्टनर रेवांचल एक्सप्लोसिव),  
अम्बिया स्कूल के पास, पुरानी आबकारी,  
मैहर, जिला सतना (मध्यप्रदेश).  
मोबा. 09893829200, 09407110000

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, सिरोंज, जिला विदिशा**

प्र. क्र. / /बी-113/2011-12.

#### प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 95 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1962 नियम-5 (1) के अंतर्गत]

चूंकि आवेदक डॉ आर एस यादव पुत्र श्री तोरनसिंह यादव, निवासी वृज कालोनी, सिरोंज अध्यक्ष माँ रूकमणी देवी सेवा ट्रस्ट के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति, दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल-अचल सम्पत्ति का विवरण)

- |    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं पता : | माँ रूकमणी देवी सेवा ट्रस्ट, सिरोंज, राजबाजार, सिरोंज, जिला विदिशा मध्यप्रदेश.   |
| 2. | चल सम्पत्ति :                  | 1. एक जोड़ चाँदी की पुरानी पायलें वजन 200 ग्राम - 3,500<br>2. कल्धार चाँदी के दो - 580<br>3. सोने की लोंग एक वजन 1 ग्राम - 1,000<br>4. नगद राशि - 11,101 |
| 3. | अचल सम्पत्ति :                 | एक मकान पक्का तीन मंजिला 572 वर्गमीटर में निर्मित स्थित राजबाजार वार्ड क्र. 06, सिरोंज. - 20,00,000  |

आज दिनांक 21 फरवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया है।

(613)

**एस. के. दुवे,**  
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन**

उज्जैन, दिनांक 19 नवम्बर, 2012

प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,  
लोक न्यास, उज्जैन  
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि अध्यक्ष श्री दिनेश भायल, ट्रस्टी द्वारा बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास ट्रस्ट का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 10 फरवरी, 2012 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 10 फरवरी, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास ट्रस्ट.
कार्यालय	201, वल्लभ नगर, उज्जैन.
चल सम्पत्ति	5000/- रु. बैंक ऑफ इंडिया, उज्जैन, अकाउन्ट नंबर 910210110005287 में होना दर्शाया है.

आर. एस. मीना,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.


(614)

**अन्य सूचनाएं****कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, औबेदुल्लागंज**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

वन परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य बरखेड़ा में उनके पत्र क्रमांक 142, दिनांक 04 फरवरी, 2012 एवं अधीक्षक रातापानी अभ्यारण्य औ. गंज के पृ. पत्र क्रमांक 272, दिनांक 08 फरवरी, 2012 के माध्यम में अवगत कराया गया कि बीट बरूसोत-II का जप्ती हेमर श्री बलीराम ककोड़िया,

वनरक्षक तत्कालीन बीट गार्ड बरूंसोत-II द्वारा गुमा दिया गया है. उक्त हेमर गुमने की सूचना परिक्षेत्र अधिकारी बरखेड़ा द्वारा पुलिस चौकी बरखेड़ा में दी गई है.



प्रकरण अंतर्गत कार्यालय पत्र क्रमांक/म.चि./2341, दिनांक 07 मई, 2012 से 10 दिवस के अंदर बचाव उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु आज दिनांक तक बचाव उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में परिसर रक्षक द्वारा शासकीय सम्पत्ति के रखरखाव में बरती गई लापरवाही के फलस्वरूप निम्न आदेश देता हूँ कि:-

### आदेश

आदेश क्र./मा. चि./313

औ. गंज/दिनांक 24 नवम्बर, 2012

वन वित्तीय नियम की धारा-124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए उक्त हेमर को अभिलेख से अपलेखित किया जाता है तथा गुम हेमर की राशि 200.00 (दो सौ मात्र) श्री बलीराम ककोड़िया वनरक्षक के वेतन माह नवम्बर, 2012 से एक मुश्त वसूल की जाकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम (10) के तहत परिनिंदित किया जाता है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त अनुलेखित आकृति का हेमर किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वह निकटतम वन कार्यालय या संबंधित पुलिस थाना में जमा कर देवे. यदि उपरोक्त हेमर को अनाधिकृत रूप से किसी व्यक्ति के पास रखना या प्रयोग करना पाया जाता है तो अवैधानिक होगा एवं उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा.

(615)

रवीन्द्र सक्सेना,  
वनमंडलाधिकारी.

### कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर

दिनांक 30 नवम्बर, 2012

#### (वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु सूचना)

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि भाण्डेर निवेश क्षेत्र (जिला-दतिया) के लिए भूमि उपयोग मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति—

1. कलेक्टर दतिया,
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर,
3. नगरपालिका भाण्डेर

के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है. यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के ग्वालियर कार्यालय अथवा नगरपालिका भाण्डेर में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.

(616)

दिनांक 30 नवम्बर, 2012

#### (वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु सूचना)

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेहगांव निवेश क्षेत्र (जिला-भिण्ड) के लिए भूमि उपयोग मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति—

1. कलेक्टर, भिण्ड,

2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ,भिण्ड,
3. नगरपालिका, मेहगाँव

के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। यदि कोई आपति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के भिण्ड कार्यालय अथवा नगरपालिका, मेहगाँव में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें।

(616-A)

दिनांक 30 नवम्बर, 2012

## ( वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु सूचना )

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि लहार निवेश क्षेत्र (जिला-भिण्ड) के लिए भूमि उपयोग मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति—

1. कलेक्टर, भिण्ड,
2. संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, भिण्ड,
3. नगरपालिका, लहार

के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के भिण्ड कार्यालय अथवा नगरपालिका, लहार में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें।

(616-B)

वी. के. शर्मा,  
संयुक्त संचालक.

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 27 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3054.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3195, दिनांक 21 नवम्बर, 2007 के द्वारा रविदास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, तहसील देवास, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 23 जून, 1965 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. एस. भाटी, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(617)

देवास, दिनांक 27 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3055.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 937, दिनांक 07 मई, 2009 के द्वारा चामूण्डा बहु. महिला सहकारी संस्था मर्यादित, मेढ़कीचाकड, तहसील देवास, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 1008, दिनांक 12 अप्रैल, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आई. एम. कुरेशी, उप-अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(617-A)

देवास, दिनांक 27 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/3056.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 866, दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा वन श्रमिक सिराली टोकना सहकारी संस्था मर्यादित, बाईजगबाड़ा, तहसील कन्नोद, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 589, दिनांक 25 मार्च, 1986 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पर्वत सिंह निगवाल को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(617-B)

के. एन. त्रिपाठी,  
उप-पंजीयक.

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	बुनकर सहकारी समिति मर्या., बखतगढ़	350/10-03-1992	435/16-09-2010
2.	आम्बुआ मार्बल औद्योगिक सह. समिति मर्या., आम्बुआ	348/28-02-1992	444/18-10-2012



अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटियां नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(618)

एम. एल. सूर्यवंशी,  
परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

कार्यालयीन आदेश द्वारा हमारा दफ्तर हमारा घर स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., नरसिंहपुर पं. क्र.-04 को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-60 के अधीन परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था, संस्था को परिसमापन में लाने का कारण संस्था की गतिविधियों का निष्क्रिय होना था.

संस्था के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में यह पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षा की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना एवं उसे पुनर्जीवित किया जाना उचित है.

अतः मैं, देवेन्द्र प्रताप सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-13-97-पन्द्रह-1-(द्वितीय अनुसूची)(दिनांक 24 अप्रैल, 2002) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 35 सन् 1999) धारा-4(6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए हमारा दफ्तर हमारा घर स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., नरसिंहपुर का परिसमापन आदेश निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही साथ कार्य संचालन हेतु नवीन निर्वाचन होने तक निम्नांकित सदस्यों की प्रबंधकारिणी को नामांकित करता हूँ :-

1.	श्री डी. पी. सिंह, उप आयुक्त, सहकारिता	पदेन अध्यक्ष (उपविधि अनुसार)
2.	श्री मुलाम सिंह मेहरा, ग्रेड-2	उपाध्यक्ष
3.	श्री बसंत सिंह रघुवंशी	सदस्य
4.	श्री बिष्णु प्रसाद श्रीवास्तव	सदस्य
5.	श्री के. सी. विश्वकर्मा	सदस्य
6.	श्री ए. एल. तिबारी	सदस्य
7.	श्री ए. बी. पाल	सदस्य
8.	श्री एस. के. श्रीवास्तव	सदस्य
9.	श्री एस. डी. लखेरा	सदस्य
10.	श्री सतीश पगारे	सदस्य
11.	श्री राकेश शुक्ला	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया.

(619)

डी. पी. सिंह,  
उप-आयुक्त (सहकारिता).

### कार्यालय परिसमापक एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, श्योपुर, जिला श्योपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

श्योपुर जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त सहकारिता जिला श्योपुर द्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शित आदेश

से परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे इन संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानपुर	101/12-02-2009	4569/04-10-2011
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडली	89/31-03-2008	4570/04-10-2011
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आसीदा	86/31-03-2008	4572/04-10-2011
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानड़ी	81/27-03-2008	4573/04-10-2011
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ददूनी	94/31-01-2009	4575/04-10-2011
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शंकरपुर	97/10-02-2009	4577/04-10-2011

अतः उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों, लेनदारों, देनदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वह संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता गांधी चौक नगरपालिका के सामने जिला श्योपुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव इस खण्ड के अधीन विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(620)

गोपाल महेश्वरी,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अन्तर्गत ]

श्योपुर जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त सहकारिता जिला श्यापुर द्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे इन संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	महिला बहु. सहकारी संस्था, गसवानी	39/17-06-2004	4547/04-10-2011
2.	जय शीतला महिला बहु. सह. संस्था, बडौदा कला	45/23-06-2004	4550/04-10-2011
3.	प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., विजयपुर	1082/03-09-1996	4553/04-10-2011
4.	माँ पीताम्बरा ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी संस्था, विजयपुर	55/21-07-2004	4560/04-10-2011
5.	महिला बहु. सहकारी संस्था, गोपालपुरा	51/06-07-2004	4582/04-10-2011
6.	महिला बहु. सहकारी संस्था, इकलोद	54/12-09-2004	4583/04-10-2011
7.	जय दुर्गे महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., इकलोद	53/12-07-2004	4584/04-10-2011
8.	अनु. जाति महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., लाडपुरा	21/12-09-2002	4585/04-10-2011

अतः उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों, लेनदारों, देनदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वह संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता गांधी चौक नगरपालिका के सामने जिला श्योपुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव इस खण्ड के अधीन विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

लोकेश शर्मा,

परिसमापक एवं वरि.सह. निरी.

(621)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

श्योपुर जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला श्योपुर द्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे इन संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है, जो निम्नानुसार है: —

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	अनु. जजा. मत्स्य उद्योग सह. संस्था, ककरधा	71/06-04-2006	4558/04-10-2011
2.	इन्द्रा भिलास दुग्ध उत्पादक, सारसिल्ला	28/16-07-2003	4561/04-10-2011
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, धीरोली	99/12-02-2009	4581/04-10-2011
4.	महिला बहु. सहकारी संस्था, झरेर	47/23-06-2004	4589/04-10-2011
5.	महिला बहु. सहकारी संस्था, सिरपुरी	65/10-01-2006	4591/04-10-2011
6.	महिला बहु. सहकारी संस्था, पतवाडा	64/03-01-2006	4592/04-10-2011
7.	अनु. जजा. बकरी पालन सहकारी संस्था, कलमी	62/23-12-2005	4595/04-10-2011
8.	अनु. जजा. बकरी पालन सहकारी संस्था, ककरधा	61/21-12-2005	4596/04-10-2011

अतः उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों, लेनदारों, देनदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वह संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता गांधी चौक नगरपालिका के सामने, जिला श्योपुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

के. आर. रेगर,

परिसमापक एवं सह. निरी.

(622)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

श्योपुर जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला श्योपुर द्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे इन संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है, जो निम्नानुसार है: —

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	अल्पसंख्यक श्रमिक सह. संस्था, श्योपुर	66/10-02-2006	4563/04-10-2011
2.	यातायात एवं परिवहन सह. संस्था, श्योपुर	69/01-03-2006	4565/04-10-2011
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बगदिया	102/12-02-2009	4568/04-10-2011
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सोई कलां	87/31-03-2008	4571/04-10-2011

1	2	3	4
5.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., तिल्लीखेडा	98/12-02-2009	4578/04-10-2011
6.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., ढोढर	95/12-02-2009	4580/04-10-2011
7.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बगदरी	96/12-02-2009	4576/04-10-2011
8.	बीज उत्पादक सहकारी संस्था, श्योपुर	104/19-02-2009	4599/04-10-2011
9.	श्रीराम श्रमिक सहकारी संस्था, श्योपुर	68/21-01-2000	4691/15-11-2011

अतः उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों, लेनदारों, देनदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वह संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता गांधी चौक नगरपालिका के सामने, जिला श्योपुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

गंगाराम गुप्ता,

(623)

परिसमापक एवं वरि.सह. निरी.

[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अन्तर्गत ]

श्योपुर जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला श्योपुर द्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे इन संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है, जो निम्नानुसार है: —

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	श्योपुर श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., श्योपुर	68/15-02-2006	4554/04-10-2011
2.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बगवाज	30/08-10-2003	4556/04-10-2011
3.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सलापुरा	31/08-10-2003	4557/04-10-2011
4.	गाँधी हडडी चर्मकार सह. संस्था, श्योपुर	25/28-06-2003	4558/04-10-2011
5.	ईधन क्रय-विक्रय सह. संस्था, श्योपुर	37/09-06-2004	4600/04-10-2011
6.	बालाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था, श्योपुर	109/18-12-2009	4603/04-10-2011
7.	प्राथ. बुनकर सहकारी संस्था मर्या., श्योपुर	191/10-12-1963	4601/04-10-2011

अतः उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों, लेनदारों, देनदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वह संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता गांधी चौक नगरपालिका के सामने, जिला श्योपुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

आर. पी. बरेलिया,

(624)

परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

## [मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

श्योपुर जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला श्योपुर के संशोधित आदेश क्र./परि./2012/1007, दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 से मुझे मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है: —

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक
1.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बागरोड़	50/06-07-2004
2.	तिलहन उत्पादक, अजापुरा	861/06-04-1989
3.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., फरारा	48/05-07-2004
4.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., धामनी	49/05-07-2004
5.	मधुमक्खी पालन सह. संस्था मर्या., जानपुरा	59/29-09-2005
6.	आदिवासी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., गोरस	302/04-09-1991

अतः उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों, लेनदारों, देनदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वह संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता गांधी चौक नगरपालिका के सामने, जिला श्योपुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(625)

आर. के. गांगिल,  
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

## [मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

श्योपुर जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला श्योपुर द्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे इन संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है, जो निम्नानुसार है: —

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	जय गोविन्द महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., ढोढर	33/06-01-2004	4555/04-10-2011
2.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., अरौदरी	52/07-07-2004	4562/04-10-2011
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., आमेट	105/02-03-2009	4566/04-10-2011
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., हांसिलपुर	103/12-02-2009	4567/04-10-2011
5.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., तलावडा	85/27-03-2008	4574/04-10-2011
6.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., फूलदा	100/12-02-2009	4579/04-10-2011

अतः उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों, लेनदारों, देनदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वह संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता गांधी चौक नगरपालिका के सामने, जिला श्योपुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(626)

आर. एल. सगर,  
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, कटनी

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के आदेश क्रमांक/स्था/750, कटनी, दिनांक 12 जून, 2012 मुझे निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी-देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है विवरण निम्न है:—

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	भारतीय स्टेट बैंक कर्म गृह नि. समि. मर्या., कटनी	109/	1049/22-11-2007
2.	आदिवासी मछुआ सह. समिति मर्या., गाताखेड़ा	1782/18-08-1998	1782/18-08-1992
3.	सिंधी औद्योगिक सह. समिति मर्या., कटनी	1168/	..
4.	खनिज उत्खनन सह. समिति मर्या., कटनी	1688/06-02-1997	75/10-11-2008
5.	खान-पान वेण्डर्स सह. समिति मर्या., कटनी	1567/15-01-1996	..
6.	थोक उप. सह. भण्डार मर्या., कटनी	50/21-02-1966	1145/06-12-2004
7.	कस्तूरबा गांधी उप. सह. भण्डार मर्या., कटनी	1035/21-09-1963	726/25-10-2008
8.	कटनी ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., कटनी	1595/12-04-1996	607/31-08-2009
9.	इन्दिरा गाँधी महिला उप सह. भण्डार मर्या., कटनी	1674/13-11-1996	605/31-08-2009
10.	रामा महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., चाका	13/14-08-2003	596/31-08-2009

अतः मैं, शैलेश सिंह ठाकुर, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, कार्यालय सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था/संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयवधि के पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

(627)

शैलेश सिंह,  
सह. निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2012-अग्रहायण 30, शके 1934

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 5 सितम्बर, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा होना पाया गया है.—

( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अटेर, भिण्ड, गोहद (भिण्ड), पिछोर, नरवर (शिवपुरी), चन्देरी (अशोकनगर) पृथ्वीपुर, जतारा, बल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), लौण्डी, राजनगर, बकस्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, शाहनगर (पन्ना), गढ़ाकोटा (सागर), हटा, दमोह, पथरिया (दमोह), जेतहरी (अनूपपुर), रामपुरनैकिन (सीधी), सुवासराटप्पा, भानपुरा, शामगढ़ (मंदसौर), थांदला, पेटलावद, झाबुआ (झाबुआ), मनावर (धार), बड़वानी, निवाली (बड़वानी), सिरोंज, विदिशा (विदिशा), बैरसिया (भोपाल) बावई (होशंगाबाद), जबलपुर, मझौली (जबलपुर) रीठी, बरही (कटनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मिहौना (भिण्ड), भितरवार (ग्वालियर), शिवपुरी, बदरवास (शिवपुरी), ईसागढ़ (अशोकनगर), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), नौगांव (छतरपुर), गुन्नौर (पन्ना), रहली, केसली (सागर) बटियागढ़ (दमोह), अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), कुसमी (सीधी), मन्दसौर, संजीत (मंदसौर), मनासा (नीमच), तराना (उज्जैन), बड़ोद, कालापीपल (शाजापुर) धार (धार), ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, पानसेमल, वरला, अंजड (बड़वानी) हूजूर (भोपाल), सिवनी-मालवा, पिपरिया (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, कुण्डम (जबलपुर) कटनी, विजयराधवगढ़ (कटनी) निवास नारायणगंज (मण्डला) नरसिंहपुर (नरसिंहपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( स ) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील कराहल, विजयपुर (श्योपुर), ग्वालियर (ग्वालियर), करैरा (शिवपुरी), पन्ना (पन्ना), बीना, बण्डा, देवरी, राहतगढ़, मालथोन (सागर), कोतमा (अनूपपुर), मल्हारगढ़, गरोठ, सीतामऊ (मंदसौर), महिदपुर, घटिया (उज्जैन), आगर, शुजालपुर, गुलाना (शाजापुर) कुक्षी, गंधवानी (धार), इटारसी (होशंगाबाद), बिछिया, नैनपुर, घुघरी (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी) केवलारी, घंसौर, घनौरा (सिवनी), करेली, नरसिंहपुर में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( द ) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक. —तहसील श्योपुर ( श्योपुर), घाटीगांव (ग्वालियर), खनियाधाना, कोलारस, पोहरी, शिवपुरी मुंगावली, अशोकनगर (अशोकनगर), बिजावर, बड़ामल्हरा (छतरपुर), पवई (पन्ना), खुरई, सागर, शाहगढ़ (सागर), तेन्दूखेड़ा (दमोह), पाली (उमरिया), गोपदवनास, सिहावल, मझौली, चुरहट (सीधी), धुन्धड़का (मंदसौर), जावद (नीमच), खाचरौद, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन) मो. बड़ोदिया, सुसनेर, नलखेड़ा, शाजापुर (शाजापुर), बदनावर, सरदारपुर, धरमपुरी, डही (धार), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), होशंगाबाद, वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), मण्डला (मण्डला), सिवनी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, छपारा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, बैहर, वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( ड ) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक. —तहसील नीमच (नीमच), चिचोली (बैतूल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मण्डला में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला डिण्डोरी में जगनी व मण्डला में रबी फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—जिला अशोकनगर में फसलों पर इल्ली का प्रकोप कहीं-कहीं है.

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, झाबुआ, बड़वानी, विदिशा, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.



## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 5 सितम्बर, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप ( मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) बाजरा, गेहूँ, सरसों समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, सोयाबीन समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	59.0				
2. कराहल	40.0				
3. विजयपुर	36.9				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ज्वार, बाजरा, तिल सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	8.0				
2. भिण्ड	5.0				
3. गोहद	11.0				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	27.0				
7. रौन					
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, अधिक. मूंगफली, तिल, मूंगमोट, तुअर, कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	46.2				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	27.8				
4. घाटीगांव	91.0				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूंगफली अधिक. (2) सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	22.0				
2. पिछोर	16.2				
3. खनियाधाना	69.0				
4. नरवर	4.0				
5. करैरा	39.0				
6. कोलारस	62.0				
7. पोहरी	68.0				
8. बदरवास	31.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. फसलों पर इल्ली का प्रकोप.	3. . . 4. (1) उड़द, सोयाबीन, गन्ना अधिक. मक्का कम. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. मुंगावली	56.0				
2. ईसागढ़	24.0				
3. अशोकनगर	70.0				
4. चन्देरी	16.0				
5. शाढौरा	..				
<b>*जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल, मूँगफली. (2) धान, ज्वार, मक्का, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल, मूँगफली समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	7.0				
3. जतारा	15.0				
4. मोहनगढ़	..				
5. टीकमगढ़	21.0				
6. लिधोरा	..				
7. बल्देवगढ़	7.0				
8. खरगापुर	..				
9. पलेरा	10.0				
10. ओरछा	2.0				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, अरहर, तिल कम. (2) समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	4.0				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	33.4				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	4.6				
6. बिजावर	69.0				
7. बड़ामलहरा	69.2				
8. बकस्वाहा	11.0				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल कम. गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	13.2				
2. पन्ना	39.5				
3. गुन्नौर	23.0				
4. पवई	63.0				
5. शाहनगर	7.0				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी अरहर, मूँग, उड़द, गन्ना, मूँगफली, तिल, सोयाबीन. (2) समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	42.8				
2. खुरई	122.0				
3. बण्डा	48.0				
4. सागर	86.1				
5. रेहली	23.3				
6. देवरी	46.0				
7. गढ़ाकोटा	15.6				
8. राहतगढ़	48.2				
9. केसली	33.4				
10. मालथोन	37.0				
11. शाहगढ़	105.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	2.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	29.0		(2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	17.2		सोयाबीन, सुधरी हुई.		
4. पथरिया	15.0				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	65.0				
7. पटेरा	..				
<b>*जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
<b>*जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. त्योंथर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सिरमौर	..		(2) ..		
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. शयफुकर्चुलियान	..				
<b>*जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोहागपुर	..		4.(1) ..	6. ..	8. ..
2. ब्यौहारी	..		(2) ..		
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
5. बुढार	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	8.0		4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. मक्का, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	34.7		राहर, कोदो, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	37.2		(2) समान.		
4. पुष्पराजगढ़	31.4				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	25.7		4. (1) धान, ज्वार, कोदो-कुटकी, अरहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	95.0		उड़द, सोयाबीन, तिल अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	19.0		(2) मक्का समान.		

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुलाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी तिल, तुअर, मूँग, उड़द, सावा समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	57.4				
2. सिहावल	58.0				
3. मझौली	71.8				
4. कुसमी	20.0				
5. चुरहट	64.5				
6. रामपुरनैकिन	2.0				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) मक्का, धान, तिल, उड़द, कोदो, मूँगफली, तुअर, धनिया समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दसौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम. तिल, मूँगफली, उड़द समान. (2) सुधरी हुई.	5. .. 6. संतोषप्रद.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	14.6				
2. भानपुरा	6.2				
3. मल्हारगढ़	41.0				
4. गरोठ	51.4				
5. मन्दसौर	29.0				
6. संजीत	26.0				
7. सीतामऊ	40.6				
8. धुन्धड़का	54.0				
9. शामगढ़	14.5				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, मूँगफली, तिल, तुअर, अधिक. उड़द कम. सोयाबीन समान. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	84.2				
2. नीमच	328.6				
3. मनासा	25.2				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
7. ताल	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	75.0				
2. महिदपुर	53.0				
3. तराना	31.2				
4. घटिया	47.0				
5. उज्जैन	131.0				
6. बड़नगर	88.2				
7. नागदा	162.0				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	100.0				
2. सुसनेर	108.4				
3. नलखेड़ा	65.8				
4. आगर	49.0				
5. बड़ौद	34.0				
6. शाजापुर	68.5				
7. शुजालपुर	46.0				
8. कालापौपल	18.0				
9. गुलाना	53.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, कपास समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, मक्का, सोयाबीन, उड़द अधिक. मूँगफली कम. (2) धान समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	3.4				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	1.6				
4. झाबुआ	5.4				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन, तुअर अधिक. ज्वार, मक्का कम. (2) कपास समान.	5. .. 6. संतोषप्रद. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. सोण्डवा	..				
3. अलीराजपुर	..				
4. कट्टीवाड़ा	..				
5. भामरा	..				
6. उदयगढ़	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. ज्वार, बाजरा, मक्का कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	94.6				
2. सरदारपुर	70.0				
3. धार	34.2				
4. कुक्षी	37.8				
5. मनावर	9.0				
6. धरमपुरी	53.3				
7. गंधवानी	50.0				
8. डही	204.0				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>*जिला प. निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वाह	..				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगोन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	3.4		4. (1) गन्ना, कपास, मक्का, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	25.0		(2) गन्ना, कपास, मक्का, ज्वार समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	24.0				
4. सेंधवा	29.0				
5. पानसेमल	19.0				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	7.6				
8. बरला	29.0				
9. अंजड	25.0				
<b>*जिला पूर्ण-निमाड :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1)	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2)		
3. हरसूद	. .				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	91.2		4. (1) गन्ना, मूँगफली, कपास अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	132.0		तिल, सनहेम्प कम.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपालगर	110.5		(2) . .		
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक, गन्ना, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		मक्का, मूँगफली, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) . .		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	7.0		(2)	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	10.0				
7. ग्यारसपुर	. .				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	6.3		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	21.6		(2) सोयाबीन, मक्का, ज्वार, मूँगफली,	चारा पर्याप्त.	
			गन्ना समान.		
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2)	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	224.6		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	163.3		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	144.8				
4. चिचोली	281.2				
5. बैतूल	131.2				
6. मुलताई	194.6				
7. आठनेर	212.1				
8. आमला	82.0				
<b>जिला होशंगाबाद</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	28.0		4. (1) तुअर अधिक. मूँगमोठ, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	56.4		कम. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	12.0		(2) ..		
4. इटारसी	48.8				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	24.0				
7. वनखेड़ी	60.8				
8. पचमढ़ी	167.0				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) सोयाबीन	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	26.4		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	23.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	01.4				
4. मझौली	09.0				
5. कुण्डम	27.0				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	24.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	5.0		(2) धान, ज्वार, मक्का, कोदो, राहर,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	19.0		तिली, सोयाबीन, उड़द समान.		
4. बहोरीबंद	..				
5. बड़वारा	..				
6. ढीमरखेड़ा	..				
7. बरही	9.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, उड़द, सोयाबीन, मूँग अधिक, मक्का, तुअर कम. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .				
2. करेली	42.0				
3. नरसिंहपुर	22.0				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, तुअर, तिल, सन समान. (2) धान, मक्का, कोदो, तुअर, तिल, सन सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	23.2				
2. बिछिया	49.9				
3. नैनपुर	44.0				
4. मण्डला	53.2				
5. घुघरी	40.3				
6. नारायणगंज	26.8				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. जगनी की बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) मक्का, धान, सोयाबीन, राहर, कोदो-कुटकी, तिल, रामतिल, उड़द समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	35.2				
2. शाहपुरा	46.2				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का समान. (2) सामान्य	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .				
2. जुन्नारदेव	. .				
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांडुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. मोहखेड़ा	. .				
11. हरई	. .				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, मूँगफली, अरहर, सोयाबीन, गन्ना, अधिक ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, मूँग, तिल कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	92.0				
2. केवलारी	40.0				
3. लखनादौन	58.5				
4. बरघाट	79.8				
5. कुरई	149.0				
6. घंसीर	47.0				
7. घनोरा	35.2				
8. छपारा	65.0				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, तुअर, गन्ना समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	130.8				
2. लाँजी	165.3				
3. बैहर	97.0				
4. वारासिवनी	164.4				
5. कटंगी	91.2				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— \*जिला गुना, सतना, रीवा, शहडोल, प.निमाड़, पूर्व निमाड़, रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

(628)

राजीव रंजन,  
आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.